पत्र सं0–विधि–जी0एस0टी0 क्षेत्राधिकार/2024–25/ /587/राज्य कर।

कार्यालयः–आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)

लखनऊः: दिनांक :: 27 जनवरी, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक/कार्पोरेट) राज्य कर,
समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी।
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या–जी0एस0टी0 पंजीयन/2017–18/662/1718055/वाणिज्य कर, दिनांक 23.11.2017, परिपत्र सख्या–आई0टी0–जी0एस0टी0 क्षेत्राधिकार/1669/1718082/2017–18/वाणिज्य कर, दिनांक 24.01.2018 एवं पत्र संख्या–आई0टी0–जी0एस0टी0 क्षेत्राधिकार/1920076/2674/2017–18/वाणिज्य कर, दिनांक 09.12.2019 के द्वारा व्यापारियों के सही क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरित करने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

आप अवगत हैं कि जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू होने के साथ ही मुख्यालय के आदेश संख्या–278/जी0एस0टी0/2017–18/118/राज्य कर, दिनांक 01.07.2017 से ही प्रत्येक खण्ड का भौगोलिक क्षेत्राधिकार नियत किया जा चुका है। मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि खण्ड स्तर पर राज्य क्षेत्राधिकार अथवा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार की कतिपय फर्म अपने वास्तविक क्षेत्राधिकार से भिन्न क्षेत्राधिकार के अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित हो रही हैं, इससे न तो किसी खण्ड विशेष के वास्तविक राजस्व क्षमता का ही अनुमान संभव है एवं न ही यह स्थिति विधिक दृष्टि से ही उचित है। इसके अतिरिक्त जबकि खण्डों के राजस्व संग्रह लक्ष्य वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही नियत किये जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में खण्ड स्तर पर वित्तीय वर्ष के मध्य में केन्द्रीय क्षेत्राधिकार की फर्मों को अन्य खण्ड में स्थानान्तरित कराने की स्थिति में दोनों ही सम्बन्धित खण्डों के राजस्व संग्रह की वस्तुनिष्ठ समीक्षा सम्भव नहीं हो पाती है।

अतः इन स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं :–

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह मार्च–25 तक राज्य अथवा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार की किसी भी फर्म का ट्रांसफर भौगोलिक क्षेत्राधिकार के आधार पर किसी अन्य खण्ड में न किया जाये।
2. मुख्यालय के आदेश संख्या–278/जी0एस0टी0/2017–18/118/राज्य कर, दिनांक 01.07.2017 से निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक खण्ड स्तर से अधिकारी अपने लॉगिन पर उपलब्ध राज्य अथवा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार की अन्य भौगोलिक क्षेत्र की फर्मों का चिन्हांकन 10.02.2025 तक करना सुनिश्चित कर लें तथा जोन से बाहर ट्रांसफर होने वाली समस्त फर्मों की सूची मुख्यालय के विधि अनुभाग को दिनांक 15.02.2025 तक उपलब्ध करा दें।
3. संयुक्त आयुक्त (कार्पोरेट सर्किल) को आवंटित राज्य क्षेत्राधिकार की फर्मों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी परिपत्र संख्या–विधि–मुख्यालय/2024–25/2425002/23/राज्य कर,

त, प्रत्येक ... प्राप्त होने के पश्चात् अपने ... किया जाना ...

दिनांक 19.04.2024 यथावत लागू रहेंगे किन्तु इनके स्तर से भी अन्य जोन को स्थानान्तरित होने वाली फर्मों की सूची दिनांक 15.02.2025 तक मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध करा दी जायेगी। केन्द्रीय क्षेत्राधिकार की फर्मों के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (कार्पोरेट सर्किल) राज्य कर द्वारा भी किया जायेगा।

4. फर्मों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दी गयी Time Line का कठोरता से अनुपालन प्रत्येक स्तर के अधिकारी द्वारा किया/कराया जायेगा तथा दिनांक 31.03.2025 के उपरांत भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किसी फर्म के बिना समुचित आधार के स्थानान्तरण की स्थिति प्रकाश में आने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः:–संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

27.1.25

(मुकेश चन्द्र पाण्डे)
संयुक्त आयुक्त (विधि) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।